

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/48/2018

प्रवेश तिथि
11-05-2017

निर्णय दिनांक
30-05-2018

01- हरिया
02- कन्हैया
03- नन्दराम

04- मुखराम पुत्रान श्री हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ बिलन्दी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0

-: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

-: रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेडा
दिनांक 18.12.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 103/2017

उपस्थित:-

01-अमरचन्द चौधरी

-वकील अपीलाण्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के आदेश दिनांक 18.12.2017 जिसके द्वारा ग्राम जमालपुर की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.05 है0 किश्म गैर मुमकीन रास्ता में से 0.13 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जर्ज्य सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जमालपुर की सरकारी सिवायचक भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.10 है0, आराजी खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.05 है0 किश्म गैर मुमकीन रास्ता में से 0.13 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 03.11.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है- जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2017 में कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का जमालपुर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 08.01.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)